माननीय SDO सा० सरकार
प्रार्थना पत्र अ० धारा 128 एल० आर० एक्ट

पत्रावली आज दिनांक 9/11/21 को प्रशासन गांवों के
संग अभियान लाडपुरा पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी
को सुना गया प्रार्थना अ० धारा० 128 एल० आर०
एक्ट० के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण
की तरमीम अधिपत्य व खातेदारी कृषि भूमि खाता
संख्या -4 आ० ख० न० 182 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा
ख० न० 184 रकबा 2 बिस्वा ख० न० 190 रकबा 5 बिस्वा
ख० न० 191 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा ख० न० 197
रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता -5 रकबा 14 बीघा
4 बिस्वा तथा खाता -3 ख० न० 185 रकबा 3 बिस्वा
ख० न० 186 रकबा 11 बिस्वा कुल किता -2 रकबा
14 बिस्वा वाके ग्राम लाडपुरा पटवार हल्का खेड़ला
कु० ओंपालिका [illegible] देवली तहसील लालसोट में
स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का यथावत
रिकार्ड नक्शा ट्रेस से मुताबिक कब्जा प्रश्न तरमीम
हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण मुताबिक तरमीम
अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवा कर उसके
चारो ओर पत्थरगढी करवाना चाहता है। क्योंकि
आराजीयात का सीमाज्ञान नही होने के कारण
प्रार्थीगण के पडोसी खातेदारान अप्रार्थीगण से सीमा
बाबत विवाद करते रहते है। यही विनाय मुखालफत
पेश होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया।

तत्पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर
करवाया गया तलबी अप्रार्थी की गई अप्रार्थी स०-1
स्वयं पेश होकर, तहसीलदार लालसोट है। प्रकरण का
एवम प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन
किया जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा०
128 पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को आदेशित

निःप्रार्थी
माननीय

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] 21?1	माननीय [illegible] [illegible] 128 [illegible]	
	जाते हैं कि वो [illegible] 9.6.14 [illegible] पक्षकारान की [illegible] उपरोक्त [illegible] खसरा नम्बर 182, 184, 190, 191, 197, कुल किता 5 कुल रकबा 1.? बीघा [illegible] तथा आराजी खाता सं० 3 ख० नं० 185, 186, कुल किता-2 कुल रकबा 1.? [illegible] ग्राम [illegible] तहसील लालसोट में स्थित उक्त आराजी का विभाजन करते हुए पत्थरगढ़ी कायम करावे तथा सरकारी राजकीय शुल्क नियमानुसार प्रार्थीगण से प्राप्त करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली बाद फैसला दाखिल दफ्तर हो। लिखि सुनाया गया।	

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०